

जे.प.के.ए.

वृत्तम १२०५१२

२०२२/५

मु.स. २/२२

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
192/24		<p>पत्रावली पेश हुई, वमील पश्काल उपस्थित। वमील अपाणी सं. २ के डाटा उपरोक्त पर अज्ञात धारा 128 LR Act 1956 के सम्बन्ध में उपरोक्त पर आरक्षण विधि आरक्षण पर पेश किया था जिस पर वमील पश्काल की कहल सुनी गयी थी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं वमील पश्काल की उपरोक्त पर कहल सुनने के पश्चात विवादित भूमि ख. नं. 294 रकबा 0-0126 हेमेटा स्थित ग्राम जयवाड़ा तहसील वमील जिला जयपुर के सम्बन्ध में अपाणी सं. 2 के डाटा विधि आरक्षण पेश कर जिले अनुसार तहसील डाटा कहल के हीमाजल अधेश दिनांक 8.12.21 की अपाणी सं. 2 ने एत आरक्षण पत्रावली अति. जिला चतुसरा जयपुर पेश के रहे अपील की गयी थी आरक्षण पत्रावली के अधेश दिनांक 18.7.23 के अनुसार अपील आरक्षण (नकार) कर</p>

तदानीं जहाँ जहाँ उक्त विवाहित
 पत्नी का विवाहपत्र मीमांसा अधेश
 क्रमांक 6-12-21 को निरस्त किया जा
 चुका है ऐसी स्थिति में पत्नी को
 पर्वना पत्र के माध्यम से पत्नी मर्द
 रहेक दिवा जाना संभव नहीं है

अतः पत्नी को पर्वना
 पत्र कोषण्य नहीं होने से निरस्त
 किया जाता है पत्रावली फसल कुमार
 एसए काउ नरमनील दा किलद फरहो।

(2)
 उपखण्ड अधिकारी
 बरसी जिला-जयपुर